कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक-1257 / FP/UK/WATER/40701/2019 :देहरादून:दिनांक: 28 फरवरी, 2020.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड,
सिंचाई विभाग, ऋषिकेश।

विषय– जनपद देहरादून में सौंग बाँध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु 127.6712 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण हेतु ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन (हार्ड कापी में) उपलब्ध कराये गये उपर्युक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कमियाँ पायी गयी हैं:–

1. ऑन–लाईन फार्म– A पार्ट 2 के क्रमांक 1 में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम सौंदणा की 2.813 हे0 भूमि की वैधानिक स्थिति Revenue Forest अंकित की गई है, जबकि प्रस्ताव की हार्ड प्रति के पार्ट–2 के कॉलम 7 (v) में उक्त भूमि को (वन पंचायत) सिविल सोयम भूमि अंकित किया गया है। सही सूचना अंकित की जाय।
2. प्रस्तावित परियोजना में कुल 8781 वृक्षों के प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें नाप भूमि में अवस्थित 313 भी सम्मिलित किये गये हैं। कृपया ऑन–लाईन फार्म–A पार्ट 2 में केवल वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अंकित की जाय।
3. ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन फार्म–A पार्ट 1 में अपलोड/संलग्न किया गया लागत–लाभ विश्लेषण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। इसके अतिरिक्त परियोजना से प्राप्त होने वाले राजस्व के विवरण में अन्तर के साथ ही कतिपय अन्य गणनाऐं भी त्रुटिपूर्ण है। कृपया भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में लागत–लाभ विश्लेषण ऑन–लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी में भी संशोधित लागत–लाभ विश्लेषण प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न किया जाय।
4. मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्त्व का स्थल न होने का प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग एवं जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।
5. परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने का औचित्य तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पेयजल की आपूर्ति किया जाना है, जबकि Justification में ग्रामीणों की उपज को मण्डी तक पहुँचाने, आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
6. पार्ट–1 के बिन्दु "H" में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता न होने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग एवं प्रयोक्ता एजेन्सी प्रतिवेदन/आख्या द्वारा संलग्न की जाय।
7. वन अधिकार अधिनियम्, 2006 के दस्तावेजों/अभिलेखों में फॉर्म–2 (for project other then linear) संलग्न नहीं किया गया है।
8. ऑन–लाईन फॉर्म A के Saction L में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के Ownership certificate एवं MoU में परस्पर विरोधाभास है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित की गयी है, किन्तु कतिपय खण्डों में भूमि की स्थिति आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश दर्शाई गयी है। सही सूचना अंकित की जाय।
9. ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन उपलब्ध करायी गयी हार्ड प्रति में फॉर्म A पार्ट–2 में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में भिन्नता हैं। कृपया सही सूचना अंकित की जाय।
10. ऑन–लाईन फॉर्म A पार्ट–2 के बिन्दु संख्या 12 में कोई प्रविष्टि नहीं की गयी है।

Scanned by CamScanner

11. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग द्वारा स्थल निरीक्षण आख्या (Site inspection report) में मात्र 36.6034 हे0 आरक्षित वन भूमि का ही उल्लेख किया गया है। सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 6.337 हे0 नाप भूमि, 20.1311 हे0 सिविल सोयम भूमि, 7.89 हे0 जलमग्न भूमि एवं 36.6034 हे0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित स्थल निरीक्षण आख्या ऑन–लाईन करते हुए प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न की जाय।
12. ऑन–लाईन फार्म A पार्ट 1 के Saction L में प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के फलस्वरूप विस्थापन न होने का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऑफ–लाईन फार्म A पार्ट 1 में परिवारों का विस्थापन होना अंकित किया गया है। अतः सही सूचना अंकित करते हुए परियोजना के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों की पुर्नवास योजना संलग्न की जाय।
13. प्रस्तावित क्षेत्र के उपचार हेतु Competent authority (प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाऐं, उत्तराखण्ड) द्वारा अनुमोदित CAT Plan संलग्न किया जाय।
14. प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्मित की जाने वाली सड़क में अत्यधिक हेयर पिन बैण्ड दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो भू–स्खलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भू–वैज्ञानिक की संस्तुति/आख्या संलग्न की जाय।
15. प्रस्ताव में संलग्न Layout Plan में दिशा संकेतक प्रदर्शित नहीं किया गया है। कृपया दिशा संकेतक अंकित किया जाय।

अतः उक्त कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवें एवं ऑन–लाईन/ऑफ–लाईन उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित प्रस्ताव चार प्रतियों इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

28/2/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या :– 2257 / FP/UK/WATER/40701/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, शिवालिक/यमुना वृत्त, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद–देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून/मसूरी वन प्रभाग, देहरादून/मसूरी को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्वयं से सम्बन्धित सूचनाऐं/अभिलेख ऑन–लाईन करते हुए हार्ड कापी में संलग्न करना सुनिश्चित करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।

28/2/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

O/C

Scanned by CamScanner